म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान–भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/757/ 676 भोपाल, दिनांक 21/10/2014

प्रति,

सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म.प्र.)

विषयः– प्रदेश की मण्डी समितियों में सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगाने के संबंध में।

–0–

प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों की कार्य प्रगति, आय में वृद्धि एवं कार्य पर नियंत्रण रखने के लिये मण्डी समितियों के मुख्य प्रवेश द्वार पर (यदि एक से अधिक द्वार है तो समस्त मुख्य द्वार पर) मण्डी समितियाँ स्वीकृत बजट प्रावधान के अन्तर्गत भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुये सी.सी.टी.व्ही. कैमरे स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा इसकी प्रगति की रिपोर्ट आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करे।

जिन मण्डी समितियों में पूर्व से ही सी.सी.टी.व्ही. कैमरे लगे हुये है तथा सुचारू रूप से कार्य नही कर रहे उन कैमरों को नियमानुसार एन्यूअल मेन्टेनेन्स कान्ट्रेक्ट पर दिया जाये ताकि कैमरे बिगडने पर तुरंत दुरूस्त कराये जा सके। जिससे मण्डी शुल्क अपवंचन पर काफी हद तक नियत्रंण हो सकेगा। इसकी मानीटरिंग सचिव स्तर पर स्वंय की जाये। यह कार्यवाही दिनांक 31.12.2014 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करे।

(प्रबंध संचालक द्वारा आदेशित)

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/757/ भोपाल, दिनांक /10/2014

प्रतिलिपिः–

(1) निज सहायक, प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल की ओर वित्तीय प्रबंधन शाखा की समीक्षा दिनांक 13.10.14 के तारतम्य में सूचनार्थ

(2) संयुक्त/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय,................. । कृपया उपरोक्त निर्देशों का पालन करवाया जाना सुनिश्चित करे।

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल